प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
सहारनपुर।

विषय– अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 119/2021 दिनांकित 14.09.2021 पर वांछित आख्या/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

माननीय महोदय के उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के क्रम में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि,

1– इस न्यायालय में दण्ड वाद सं0–23555/2018 राज्य बनाम दयावती चौधरी, मु0अ0सं0–170/2018 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना सदर बाजार, सहारनपुर विचाराधीन है।

2– प्रश्नगत मामले की वादी मुकदमा श्रीमती शिक्षा देवी द्वारा कथित रूप से वर्ष 2012 व 2013 में दयावती एवं चार अन्य द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर धन लेने आदि तथ्यों का उल्लेख करते हुए वर्ष 2018 में पांच व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

3– प्रश्नगत मामले के विवेचक द्वारा एकमात्र अभियुक्ता दयावती चौधरी के विरूद्ध उक्त मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया गया जिसपर न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.09.2018 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। एकमात्र अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किये जाने से प्रथम दृष्टया अन्य आरोपितों की नामजदगी गलत पाया जाना प्रदर्शित होता है जो इस तथ्य को भी प्रदर्शित करता है कि वादिया द्वारा अभियोजन कथानक में वास्तविक रूप से समस्त तथ्यों का सही रूप से उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो विवेचक द्वारा समस्त आरोपितगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जाता। इस स्तर पर अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और ना ही आरोपपत्र अथवा प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर मौजूद है।

4– प्रश्नगत मामले में आरोपपत्र प्रेषित किये जाते समय अथवा उससे पूर्व विवेचक द्वारा अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही उसकी गिरफ्तारी हेतु किसी भी प्रकार की उत्पीडक आदेशिका लिये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया व मामले के विवेचक द्वारा प्रकरण को गिरफ्तारी योग्य नहीं समझा गया।

5– प्रश्नगत मामले में आरोपित अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं आत्मसमर्पण किया गया तथा जमानत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। अपने जमानत प्रा0पत्र के साथ चिकित्सीय अभिलेखों के साथ–साथ मा0 उच्च

30/09/2021

न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 482 सं0–16160 वर्ष 2020 श्रीमती दयावती चौधरी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं एक अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति को भी दाखिल किया गया जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रा0पत्र का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था अमरावती एवं एक अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2004(57) ए0एल0आर0 290 व मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2009(3) ए0डी0जे0 322(एस0सी0) लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

6– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण रिट याचिका सं0–15609 वर्ष 2016 ब्रह्मसिंह एवं दो अन्य बनाम स्टेट ऑफ य0पी0 एवं0 दो अन्य निर्णय दिनांकित 08.07.2016 जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 राज्य के समस्त जनपदों के समस्त न्यायिक अधिकारियों को परिचालित कराया गया, में यह आज्ञापक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था अमरावती एवं एकं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2004(57) ए0एल0आर0 290 व मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2009(3)ए0डी0जे0 322(एस0सी0)लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत जमानत हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक मामले पर लागू होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय से उक्त हेतु पृथक से कोई आदेश पारित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय व मा0 उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाएं समस्त न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

7– अभियुक्ता द्वारा दिनांक 16.03.2021 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.01.2021 व मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आज्ञापक विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण रिट याचिका सं0–15609 वर्ष 2016 ब्रह्मसिंह एवं दो अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं0 दो अन्य निर्णय दिनांकित 08.07.2016 जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 राज्य में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए उसी दिन जमानत प्रा0पत्र का पूर्णतः विधिनुसार निस्तारण करते हुए अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया गया।

8– अभियुक्ता सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थी तथा 69 वर्षीय (अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत आधारकार्ड में अंकित जन्मतिथि) वृद्ध महिला थी। धारा 437 (1) के परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि ***'परन्तु न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि खण्ड (i) या खण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड दिया जाये, यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है।"***

उक्त धारा से स्पष्ट है कि उक्त धारा का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समस्त तथ्यों का एकसाथ अर्थात वह 16 वर्ष से कम का हो तथा स्त्री हो तथा रोगी हो तथा शिथिलांग व्यक्ति हो, आवश्यक नहीं है। उक्त धारा में स्पष्ट रूप से **"या"** शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त धारा के

30/09/2021

परंतुक में दिये गये आधारो में से किसी भी एक आधार का लाभ भी अभियुक्त/अभियुक्ता को प्रदान किया जा सकता है।

आरोपित अभियुक्ता सेवानिवृत्त वृद्ध महिला थी जिसकी ओर से अपने जमानत प्रा0पत्र के साथ प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्र वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2019 तक के किये गये थे जो प्रथम दृष्टया इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि अभियुक्ता लम्बे समय तक बीमार रही थी। अधोहस्ताक्षरी के जमानत आदेश दिनांकित 16.03.2021 में भी उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों के सम्बन्ध में मात्र यह अंकित किया गया है कि **"जहाँ तक चिकित्सीय प्रपत्रों के पुराने होने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अभियुक्ता की ओर से वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2019 तक के चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनसे इस सम्भावना को बल मिलता है कि अभियुक्ता का लम्बे समय तक ईलाज चला है।"** उक्त से स्पष्ट है कि मात्र उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्ता को धारा 437 (1) दं0प्र0सं0 के परंतुक का लाभ प्रदान नहीं किया गया अपितु अभियुक्ता 69 वर्षीय वृद्ध महिला थी साथ ही उसका लम्बे समय तक ईलाज चला जिसके आधार पर उसे शिथिलांग भी माना जा सकता है, व मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में धारा 437 (1) दं0प्र0सं0 के परंतुक का लाभ प्रदान किया गया। यहां यह पुनः उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि उक्त धारा हेतु धारा में वर्णित समस्त तथ्यों का एकसाथ होना आवश्यक नहीं है अपितु किसी एक तथ्य के आधार पर भी उक्त धारा का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

9– जहॉ तक प्रतिभू की धनराशि मु0 1,00,000/–रूपये विनिश्चित किये जाने व प्रतिभू प्रपत्रों का औपबंधिक रूप से स्वीकार किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अभियुक्ता द्वारा जिस दिन न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया उसीदिन उसके जमानत प्रा0पत्र को स्वीकृत किया गया तथा किसी भी प्रक्रियात्मक विधि अथवा मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी परिपत्र में ऐसा कोई आज्ञापक प्राविधान नहीं है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसीदिन जमानत स्वीकृत होने पर जमानत की धनराशि एक लाख रूपये अथवा किसी निश्चित धनराशि से अधिक विनिशिचित किये जाने पर प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन तक अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में कारागार प्रेषित कर दिया जाये। यह सम्बन्धित न्यायालय/मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर ही है कि वह प्रतिभू प्रपत्रों को औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए अभियुक्ता को जमानत पर रिहा कर दे व प्रतिभू प्रपत्रो को सत्यापन हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रेषित कर दे।

अधोहस्ताक्षरी की पूर्ण वैधानिक जानकारी के अनुसार आजतक ऐसा न कभी हुआ है ना देखा गया है ना ही किसी भी प्रवर न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में ऐसा आज्ञापक निर्देश पारित किया गया है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसीदिन उसकी जमानत स्वीकृत होने पर जमानत की धनराशि 25,000/–रूपये से अधिक विनिश्चित कर दिये जाने पर प्रतिभू सत्यापन होने तक अभियुक्त/अभियुक्ता को कारागार प्रेषित कर दिया जाये।

30/09/2021

स्वयं आदरणीय महोदय द्वारा जमानत प्रा0पत्र सं0 3600 वर्ष 2021 नवनीत उर्फ सोनू बजाज बनाम उ0प्र0 राज्य गु0अ0सं0 453/2020 अंतर्गत धारा 420,406,323,504,506 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली मण्डी में पारित अभियुक्त नवनीत उर्फ सोनू बजाज के जमानत आदेश दिनांकित 20.09.2021 में प्रतिभू की धनराशि 50,000/–रूपये विनिश्चित करते हुए उसे उसीदिन रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया था, क्योंकि अभियुक्त ने इस न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था तथा श्रीमान जी के पूर्व आदेश के द्वारा उसको अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, क्योंकि उक्त मामले की पत्रावली इस न्यायालय में थी।

इसी प्रकार की परिस्थिति अभियुक्ता दयावती चौधरी के मामले में थी। उक्त अभियुक्ता द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। अपने जमानत प्रा0पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय का आदेश प्रस्तुत करने के साथ–साथ मा0 उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ब्रह्मसिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 भी प्रस्तुत की गयी थी। मामले में आरोपपत्र प्राप्त हो चुका था तथा अभियोजन पक्ष द्वारा भी जमानत प्रा0पत्र पर सुनवाई हेतु समय प्रदान किये जाने की कोई याचना नहीं की गयी थी। मामले से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मौजूद थे। ऐसी दशा में अभियुक्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्णतः विधिक आदेश पारित करते हुए अभियुक्ता का जमानत प्रा0पत्र स्वीकृत करते हुए उसके प्रतिभू प्रपत्र औपचारिक रूप से स्वीकार किये गये थे। प्रतिभूओं की धनराशि अधिक विनिश्चित किये जाने का उद्देश्य अभियुक्ता व उसके प्रतिभूओं को बांधे रखना था जिससे वह न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए विचारण में पूर्ण सहयोग करे।

10– प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0–4258/एडमिन जी–II इलाहाबाद दिनांकित 17.04.2020 को परिचालित की गयी जिसमें प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0–तीन/एडमिन(जी) इलाहाबाद दिनांकित 16.02.2009 व परिपत्र सं0–28/2010 एडमिन जी–II इलाहाबाद दिनांकित 18.09.2010 को संदर्भित किया गया है। उक्त परिपत्रों में <u>हत्या, डकैती, बलात्कार व एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित मामलों में प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं तथा उक्त के सम्बन्ध में भी न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रतिभू प्रपत्रों को औपबंधिक रूप से भी स्वीकृत कर सकते हैं।</u>

अभियुक्ता दयावती का मामला न तो हत्या से सम्बन्धित है न डकैती से सम्बन्धित है न बलात्कार से सम्बन्धित है और न ही एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित है जिनमें सामान्यतः प्रतिभू प्रपत्रों का सत्यापन कराया जाना चाहिए।

यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के किसी भी परिपत्र में और ना ही किसी भी अधिनियमित विधि

30/09/2021

व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी निश्चित धनराशि से अधिक धनराशि के प्रतिभूओं का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाये।

प्रश्नगत मामले में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्णतः विधिनुसार आदेश पारित करते हुए अभियुक्ता की जमानत स्वीकृत की गयी है व जमानत स्वीकृत किये जाने के समस्त आधारों का उल्लेख उक्त आदेश में स्पष्ट वर्णित है व प्रतिभूओं को विधि अनुसार ही औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया गया है। अंधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रश्नगत मामले में कारित नहीं की गयी है।

अभियुक्ता दयावती के प्रतिभूओं को औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए सत्यापन कराया गया जो सत्यापन उपरांत भी पूर्णतः सही पाये गय हैं।

क्लस्टर ट्रेनिंग दिनांकित 26.09.2021 की पूर्व तैयारी हेतु सभागार में प्रतिदिन सामान्यतः दोपहर पश्चात् बुलाये जाने व शाम तक कार्यशाला चलने व इस न्यायालय के प्रतिदिन के अति आवश्यक न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के कारण श्रीमान जी के अर्द्धशासकीय पत्र का स्पष्टीकरण अंदर सात दिवस प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी क्षमाप्रार्थी है।

आख्या/स्पष्टीकरण आदरणीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

सम्मान सहित।

भवदीय,

30/09/2021

(अनिल कुमार XI)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

दिनॉकः–30–09–2021